भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 475

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सभी के लिए आवास की स्थिति

475. श्री ए. राजाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सभी के लिए आवास की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लक्षित और पूर्ण किए गए आवास/निवास इकाइयों की संख्या वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ग) सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई कमियां देखी गई हैं और यदि हां, तो इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना को चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 114.30 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 18.11.2024 तक देशभर में 88.02 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले तीन वर्षों में

स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके/लाभार्थियों में वितरित किए जा चुके आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को छोड़कर, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है। यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, लाभार्थियों की अनिच्छा, वैधानिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में देरी आदि शामिल हैं।

****

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 475 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/वितरित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार विवरण

क्र. सं..		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवास (संख्या)			निर्माणाधीन आवास (संख्या)*			पूर्ण/वितरित आवास (संख्या)*		
			2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	3,95,523	2,29,320	97,161	5,11,447	2,30,448	18,782	59,402	2,86,987	2,18,500
2		बिहार	10,992	2,206	15,507	73,653	23,180	9,253	12,370	21,711	11,226
3		छत्तीसगढ	52,393	45,036	4,718	34,921	30,238	29,806	13,605	35,926	43,389
4		गोवा	309	330	-	311	331	-	309	331	-
5		गुजरात	1,76,998	1,44,098	13,365	1,74,572	1,46,528	12,322	1,63,938	1,99,613	29,098
6		हरियाणा	7,269	5,142	-	9,789	5,687	1,336	7,031	13,508	3,712
7		हिमाचल प्रदेश	2,498	1,152	406	2,473	1,111	267	1,682	2,155	1,003
8		झारखण्ड	57,847	6,625	-	39,999	25,162	4,813	10,864	15,774	17,136
9		कर्नाटक	59,199	16,349	17,330	1,12,063	33,674	16,656	32,825	43,045	30,793
10		केरल	28,237	15,648	8,191	11,194	16,597	7,627	8,041	14,823	7,350
11		मध्य प्रदेश	1,83,177	68,191	10,730	78,056	1,65,890	17,417	62,206	1,75,209	1,11,350
12		महाराष्ट्र	2,63,159	1,22,210	32,179	1,69,245	2,20,419	26,804	1,90,671	1,81,361	38,183
13		ओडिशा	54,103	1,319	18,769	16,792	27,878	9,345	10,350	27,734	12,785
14		पंजाब	9,691	26,982	-	21,304	10,416	7,255	10,327	23,124	8,926
15		राजस्थान	34,012	93,943	47,019	33,717	60,856	37,016	32,100	35,518	10,253
16		तमिलनाडु	75,552	32,519	11,931	38,409	58,096	18,270	51,877	84,296	40,322
17		तेलंगाना	17,225	7,704	2,010	14,546	10,542	-	22,778	14,375	1,541
18		उत्तर प्रदेश	1,26,242	1,26,137	1,57,369	2,30,060	95,037	1,51,981	2,77,508	2,06,465	1,99,690
19		उत्तराखंड	13,144	12,123	3,084	7,914	16,058	6,515	5,489	4,329	4,679
20		पश्चिम बंगाल	1,64,115	12,264	-	82,549	1,25,862	40,839	23,706	81,647	50,364
उप-कुल (राज्य)			**17,31,685**	**9,69,298**	**4,39,769**	**16,63,014**	**13,04,010**	**4,16,304**	**9,97,079**	**14,67,931**	**8,40,300**
21	उत्तर-पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	2,504	8	-	850	1,274	-	556	3,193	1,498
22		असम	34,295	10,211	15,124	22,024	29,426	9,654	15,682	36,483	19,542
23		मणिपुर	6,020	21	-	2,353	8,729	1,058	430	5,690	2,934
24		मेघालय	6	4	-	2,393	447	26	265	430	144
25		मिजोरम	860	270	-	12,178	9,469	95	1,026	1,518	1,927
26		नागालैंड	3	1	-	6,914	680	-	2,692	6,427	7,344
27		सिक्किम	37	26	-	37	26	10	37	26	-
28		त्रिपुरा	7,887	6,362	6,505	10,734	9,037	1,588	2,887	7,369	8,619
उप-कुल (उत्तर-पूर्वी			**51,612**	**16,903**	**21,629**	**57,483**	**59,088**	**12,431**	**23,575**	**61,136**	**42,008**

राज्य)											
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	-	330	1	-	1	3	-
30		चंडीगढ़	141	128	-	141	128	-	141	128	-
31		दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1,132	1,342	-	1,134	1,602	-	1,193	2,325	470
32		दिल्ली	1,807	2,669	-	1,807	2,669	-	1,807	2,669	-
33		जम्मू और कश्मीर	11,530	266	4,903	10,043	266	1,161	3,828	6,622	3,626
34		लद्दाख	-	3	-	-	3	-	132	106	139
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	0	-	-
36		पुद्दुचेरी	1,740	457	1,810	1,381	457	1,212	1,073	2,032	1,270
उप- जोड़ (यूटी)			**16,351**	**4,866**	**6,713**	**14,836**	**5,126**	**2,373**	**8,175**	**13,885**	**5,505**
सकल योग			**17,99,648**	**9,91,067**	**4,68,111**	**17,35,333**	**13,68,224**	**4,31,108**	**10,28,829**	**15,42,952**	**8,87,813**

*इसमें उस वर्ष निर्मित और पूर्ण हो चुके आवास शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किए गए थे।